संख्याः 1213/VIII/72-प्रशि0/2006

प्रेषक,

टी0आर0 भट्ट,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून : दिनांक 10 अगस्त 2006

विषयः द्वारीखाल, जनपद-पौड़ी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुए 15 अस्थायी पदों का सृजन किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पौड़ी के द्वारीखाल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करते हुये, इसके लिए प्रस्तावित तीन व्यवसाय क्रमशः डाटा एन्ट्री आपरेटर, ड्रेस मेकिंग एवं प्लम्बर हेतु न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मानक के अनुसार कुल 15 अस्थाई पद निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद की भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो से दिनांक 28.02.2007 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, द्वारीखाल जनपद-पौड़ी हेतु पदों का विवरण :-

क0सं0	पदों का नाम	स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	वेतनमान
1.	कार्यदेशक श्रेणी-तीन	01	6500-10500
2.	व्यवसाय अनुदेशक	03	5000-8000
3.	अनुदेशक सामाजिक अध्ययन	01	5000-8000
4.	अनुदेशक कला/गणित	01	5000-8000
5.	सहायक भण्डारी	01	4000-6000
6.	वरिष्ठ सहायक	01	4000-6000
7.	कनिष्ठ लिपिक	01	3050-4590
8.	भण्डार/कार्यशाला परिचर	02	2610-3540
9.	अनुसेवक	01	2550-3200
10.	चौकीदार	02	2550-3200
11.	स्वच्छकार	01	2550-3200
	योग	15	

5– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्ड डी, की दरों अथवा शर्तो, टेन्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपकरणों आदि का क्रय प्रत्येक ट्रेड के एन0सी0वी0टी0 के मानक के अनुसार ही क्रय किया जायेगा।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

7– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार, 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003–दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 03–दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान आयोजनागत–00 के अर्न्तगत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

8– यह आदेश के अशासकीय संख्या यू0ओ0–460/वित्त अनुभाग–5/2006 दिनांक 01–अगस्त, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0आर0 भट्ट)
अपर सचिव।

पृष्ठाकंन संख्या : संख्याः 1213(1)/VIII/72–प्रशि0/2006 तद्दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3– जिलाधिकारी, पौड़ी।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
5– अपर सचिव, वित्त–बजट, उत्तरांचल शासन।
6– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त सूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर वांछित प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7– वित्त अनुभाग–5
8– नियोजन अनुभाग।
9– एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
10– निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
12– गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

2– उक्त पद के धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ–साथ शासन द्वारा समय–समय पर प्रख्यापित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होगें।

प्रारम्भ किये जा रहे व्यवसायों का विवरण :–

क0स0	व्यवसाय का नाम	यूनिट	प्रशिक्षण स्थान
1.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	20
2.	ड्रेस मेकिंग	01	16
3.	प्लम्बर	01	16

3– उक्त संस्थान के अनावर्तक व्ययों एवं अधिष्ठान के खर्च हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार रूपये 27,28,000/– (रूपये सत्ताईस लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

बजट व्यवस्था :–

धनराशि हजार रूपये में

क0सं0	मद का नाम	आवश्यक धनराशि
1.	01–वेतन	01
2.	03–महँगाई भत्ता	01
3.	04–यात्रा भत्ता	01
4.	06–अन्य भत्ते	01
5.	08–कार्यालय व्यय	70
6.	09–विद्युत देय	01
7.	10–जलकर/जल प्रभार	01
8.	21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन	01
9.	26–मशीने साज–सज्जा/उपकरण	2600
10	42–अन्य व्यय	50
11.	48–महँगाई वेतन	01
	योगः	2728

4– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर स्वीकृति की जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या आदेशों का उल्लघंन होता हो। जहां व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहां ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य ओदशों का अनुपालन कढाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।